

डिसक्लेमर

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) [पीएमएवाई(यू)] के अंतर्गत संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निःशुल्क ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मांग सर्वेक्षण किया जाता है।

पात्र लाभार्थियों द्वारा स्वयं भी मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा नाममात्र की लागत रुपये 25/- (सेवा कर अतिरिक्त) पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

सर्व साधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि इस मंत्रालय ने पीएमएवाई(यू) मिशन के अंतर्गत किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी निजी संस्था अथवा व्यक्ति को धनराशि एकत्र करने हेतु प्राधिकृत नहीं किया है।

नागरिकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस संबंध में किसी प्रकार का संदेह होने के मामले में निम्नलिखित संपर्क नम्बर/ई-मेल आईडी पर सत्यापन कर सकते हैं।

श्री आर.एस. सिंह
निदेशक (एचएफए-1),
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय,
कमरा सं. 219, जी विंग, एनबीओ बिल्डिंग,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011
दूरभाष -011-23060484
ई-मेल: pmaymis-mhupa@gov.in

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था इस मंत्रालय का नाम अथवा प्रतीक चिन्ह (लोगो) का अनधिकृत रूप से उपयोग करता पाया जाता है तो वह कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा।
